

कर राजस्व

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	(₹ करोड़) बजट 2020-2021
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01.	संग्रहण	0020	580045.10	657312.00	528317.31	589326.92
1.02.	अधिभार	0020	58004.54	73950.00	58701.92	65480.77
1.03.	शिक्षा उपकर/स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0020	25521.98	34738.00	23480.77	26192.31
1.04.	शास्तियां	0020
1.05.	व्याज वसूलियां	0020
1.06.	घरेलू कम्पनियों के वितरित लाभों पर कर	0020
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020
1.08.	विविध प्राप्ति	0020
जोड़-निगम कर			663571.62	766000.00	610500.00	681000.00
2. आय पर कर						
2.01.	संग्रहण	0021	399211.83	495191.00	473365.38	540865.38
2.02.	अधिभार	0021	44482.63	39618.00	52596.16	60096.16
2.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0021	17793.05	21391.00	21038.46	24038.46
2.04.	शास्तियां	0021
2.05.	व्याज वसूलियां	0021
2.06.	काले धन के तहत कर	0021
2.07.	विविध प्राप्ति	0021
2.08.	बैंकिंग लेन देन कर (बीसीटीटी)	0036
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	0034	11527.50	12800.00	12500.00	13000.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.44
2.11.	व्याज कर	0024	3.19
2.12.	अनुपंगी लाभ कर	0026	-31.59
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028	15.81
जोड़-आय पर कर			473002.86	569000.00	559500.00	638000.00
3. संपदा कर						
3.01.	संपदा शुल्क	0031	1.12
3.02.	धन पर कर	0032	39.74
जोड़-संपदा कर			40.86
4. सीमा शुल्क						
4.01.	आयात शुल्क					
4.01.01.	बुनियादी शुल्क	0037	104783.26	142940.00	110445.00	124000.00
4.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	1835.31	...	3000.00	...
4.01.03.	विशेष सीवी शुल्क	0037	78.07
4.01.04.	हाई स्पीड डीजल तेल पर सीमा शुल्क की अतिरिक्त शुल्क	0037	3.00
4.01.05.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0037	2.36	545.00	890.00	930.00
4.01.06.	शिक्षा उपकर	0037	75.94
4.01.07.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	23.46
4.01.08.	समाज कल्याण अधिभार	0037	8864.80	10080.00	9000.00	10200.00
जोड़-आयात शुल्क			115666.20	153565.00	123335.00	135130.00
4.02.	निर्यात शुल्क	0037	-891.70	224.00	-935.00	220.00
4.03.	निर्यात पर उपकर	0037	1536.00	315.00	1550.00	1600.00
4.04.	अन्य प्राप्ति	0037	1502.35	1800.00	1050.00	1050.00
जोड़-सीमा शुल्क			117812.85	155904.00	125000.00	138000.00
5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क						

		(₹ करोड़)				
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	बजट 2020-2021	
5.01.	बुनियादी उत्पाद शुल्क	0038	69351.86	109046.00	75080.00	82390.00
5.02.	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	15307.79
5.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	44272.66
5.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	1797.80	1935.00	1900.00	2000.00
5.05.	मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	31177.59	41000.00	37500.00	40500.00
5.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	0.20
5.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
5.07.01.	शिक्षा उपकर	0038	3.59
5.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	1.86
5.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	17814.23	21000.00	15000.00	16500.00
5.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	-0.03
5.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	13.40
5.07.06.	ऑटोमोबाइल पर उपकर	0038	0.08
5.07.07.	अन्य	0038	-27.49
5.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	0038	4.88	...	20.00	...
5.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	6.36
5.07.10.	मोटर स्प्रिट और उच्च गति वाले डीजल तेल (सड़क और आवसंरचना उपकर) पर सीमा शुल्क	0038	51266.03	127019.00	118500.00	125610.00
जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर			69082.91	148019.00	133520.00	142110.00
5.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
5.08.01.	कोयला और कोक	0038	1.78
5.08.02.	रबड़	0038
5.08.03.	प्रदूषण (वायु और जल) निवारण और नियंत्रण	0045	7.00	...	12.00	...
5.08.03.01.	1-घटाएं- व्यय के प्रति रसीदे प्राप्त निवल	0045
			7.00	...	12.00	...
5.08.04.	अनुसंधान और विकास	0045	45.34
5.08.05.	बीड़ी निधि	0038
5.08.06.	वस्त्र और वस्त्र मशीनरी पर संग्रहित उपकर निवल-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर	0038
			54.12	...	12.00	...
निवल-केंद्रीय उत्पाद शुल्क			231044.93	300000.00	248012.00	267000.00
6. सेवा कर						
6.01.	संग्रहण	0044	6493.24	...	1166.80	1020.00
6.02.	शिक्षा उपकर	0044	17.72	...	3.50	...
6.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	8.85	...	1.70	...
6.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	215.74	...	16.00	...
6.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	168.07	...	12.00	...
जोड़-सेवा कर			6903.62	...	1200.00	1020.00
7. वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क						
7.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040
7.02.	अन्य कर	0045	936.97
जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क			936.97
8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)						
8.01.	केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	0005	457534.01	526000.00	514000.00	580000.00
8.02.	समेकित माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	0008	28944.58	28000.00
8.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	95080.71	109343.00	98327.00	110500.00
जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)			581559.30	663343.00	612327.00	690500.00
9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर						

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	(₹ करोड़) बजट 2020-2021
9.01.	भू राजस्व	0710	9.88	53.21	42.56	43.21
9.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	218.93	305.72	290.72	315.67
9.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	1077.21	1523.00	1341.50	1420.03
9.04.	बिक्री कर	0710	1080.30	1898.00	1513.50	1589.95
9.05.	वाहनों पर कर	0710	218.90	333.00	323.52	327.27
9.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	13.51	17.00	18.89	21.25
9.07.	विजली पर कर और शुल्क	0710	31.09	50.00	50.00	55.00
9.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	164.40	...	599.31	727.62
9.09.	संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	2778.20	2768.00	2704.00	3000.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			5592.42	6947.93	6884.00	7500.00
10. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंतरित एनसीसीडी						
10.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-2.36	-545.00	-890.00	-930.00
10.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-1797.80	-1935.00	-1900.00	-2000.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंतरित एनसीसीडी			-1800.16	-2480.00	-2790.00	-2930.00
11. घटाइए-राज्यों का हिस्सा						
11.	घटाइए-राज्यों का हिस्सा	0710	-761454.15	-809133.02	-714889.49	-784180.87
12. घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन						
जोड़-कर राजस्व			1317211.12	1649581.91	1504586.93	1635909.13
कुल जोड़			1317211.12	1649581.91	1504586.93	1635909.13

1. **निगम कर :** यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2019-2020 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 7,66,000.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 6,10,500.00 करोड़ रुपए है। 2020-2021 का बजट अनुमान 6,81,000.00 करोड़ रुपए है।

2. **आय पर कर :** यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनितों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2019-2020 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 5,56,200.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 5,47,000.00 करोड़ रुपए है। 2020-2021 के लिए बजट अनुमान 6,25,000.00 करोड़ रुपए है।

वित्त वर्ष 2018-19 के बाद आय कर की @ 4 प्रतिशत 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' (अभिभार सहित) लगाया गया है।

3. **धन कर:** धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता था। वर्ष 2018-19 के लिए धन कर का वास्तविक संग्रहण 40.86 करोड़ रुपए था। वर्ष 2016-17 से इस कर को हटा दिया गया है।

4. **सीमा शुल्क:** 2019-2020 के लिए सीमा शुल्क का सं.अ. 1,25,000.00 करोड़ रुपए है जबकि ब.अ. 1,55,904.00 करोड़ रुपए हैं। 2020-2021 के लिए बजट अनुमान 1,38,000.00 करोड़ रुपए है।

4.01.01. **बुनियादी शुल्क :** सीमा शुल्क का मूलभूत शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर उग्रहणीय है।

4.01.02. **सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) :** सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उग्रहणीय है जो घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों पर उग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समकक्ष है। इस शुल्क को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों, जो जीएसटी से बाहर हैं को छोड़कर) कर लिया गया है।

4.01.05. **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** वित्त अधिनियम, 2001 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कुछ विनिर्दिष्ट तम्बाकु उत्पादों पर लगाया जाता है तथा वित्त अधिनियम, 2003 के तहत कूड पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। अन्य वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

4.02. **निर्यात शुल्क:** कुछ विनिर्दिष्ट मदों जैसे अयस्क और लोहा और क्रोमियम के सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।

5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 2019-2020 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान 2,48,012.00 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 3,00,000 करोड़ रुपए है। 2020-2021 के लिए ब.अ. 2,67,000.00 करोड़ रुपए है।

5.01. बुनियादी उत्पाद शुल्क : केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। इसी शुल्क को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो जीएसटी के बाहर है) के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

5.02. मोटर स्पिंट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: मोटर स्पिंट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। इसे सड़क और अवसंरचना उपकर के रूप में बदल दिया गया है।

5.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क: राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त अधिनियम, 2001 के तहत लगाया जाता है तथा वित्त अधिनियम 2003 के तहत कूड पेट्रोलियम पर। अन्य मदों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया है।

5.05. मोटर स्पिंट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: मोटर स्पिंट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

5.07.10 मोटर स्पिंट तथा उच्च गति वाले डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क (सड़क एवं अवसंरचना उपकर) : उच्च गति वाले डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। इसी शुल्क को सड़क एवं अवसंरचना उपकर के रूप में बदल दिया गया है।

6. सेवा कर : सेवा कर को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए सेवा कर अवशिष्ट (बकाया) 1,200 करोड़ रुपए है। वर्ष 2020-21 के लिए सेवा कर अवशिष्ट (बकाया) हेतु बजट अनुमान 1,020 करोड़ रुपए है।

8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया। जीएसटी मानव उपभोग के एल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति को छोड़कर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी के संशोधित अनुमान क्रमशः 5,14,000 करोड़ रुपए और 'शून्य' हैं जबकि उनके ब.अ. क्रमशः 5,26,000 करोड़ रुपए और 28,000 करोड़ रुपए हैं। सीजीएसटी और आईजीएसटी के वित्त वर्ष 2020-21 के ब.अ. क्रमशः 5,80,000 करोड़ रुपए और शून्य हैं। आईजीएसटी राजस्व ऋणों के प्रति-उपयोग के परिणामस्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच समानुपात विभाजन और निधि के निपटारे के अधीन है। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से संबंधित संशोधित अनुमान तथा बजट अनुमान क्रमशः 98,327 करोड़ रुपए तथा 1,10,500 करोड़ रुपए है।